न्यायालयः पंचम अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण दुर्ग (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी– दीपक कुमार कोशले)

M.A.C.T/486/22

संस्थित दिनांक–30/09/2022

1/ कु. मानवी पिता श्री हीरालाल, उम्र
10 वर्ष, पता– ग्राम खप्परवाड़ा वार्ड
क्र. 12 थाना गुंडरदेही जिला बालोद छ.ग.
आवेदिका नाबालिग की ओर से वाद मित्र
पिता हीरा लाल देवदास पिता श्री सुंदरलाल
उम्र 36 वर्ष, निवासी– ग्राम खप्परवाड़ा, वार्ड
नंबर 12, थाना गुंडरदेही, जिला बालोद (छ०ग०) ....**आवेदिका**

//बनाम//

1/ श्री मुकेश कुमार साहू, पिता बेदराम
साहू,उम्र 30 वर्ष, पता– ग्राम फरदफोड़,
थाना देवरी जिला बालोद (छ०ग०)
हाल पता– होमगार्ड कार्यालय, थाना
दुर्ग जिला दुर्ग (छ०ग०)

2/ डायरेक्टर जनरल ऑफ होम गार्ड
जिला सेनानी नगर सेना एवं जिला
अग्निशमन अधिकारी दुर्ग थाना– दुर्ग
जिला दुर्ग (छ०ग०)

M.A.C.T/486 /22

संस्थित दिनांक–30/09/2022

(वाहन टाटा सूमो विस्टा क्रं. सी.जी.
02–5653 का पंजीकृत स्वामी)

3/– छ.ग. शासन द्वारा जिला कलेक्टर
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.) ....**अनावेदकगण**

मोटरयान अधिनियम की धारा 166 के तहत क्षतिपूर्ति हेतु क्षतिपूर्ति दावा ।

आवेदक द्वारा श्री हेमंत साहू अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रं. 1 द्वारा श्री छन्नू साहू अधिवक्ता ।

//अधिनिर्णय//

(आज दिनांक 29–06–2024 को घोषित)

1/ इस निर्णय द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम 1988 को निराकृत किया जा रहा है, जो कि मोटरयान दुर्घटना में आवेदिका कु. मानवी को गंभीर चोटें कारित हो जाने से कुल 28,00,000/–रूपये (अठाईस लाख रूपये मात्र) क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु पेश किया है ।

2/ प्रकरण में कोई स्वीकृत तथ्य नहीं है ।

3/ प्रकरण के मुख्य तथ्य इस प्रकार से है कि आहत मानवी आवेदक हीरालाल की पुत्री है । घटना दिनांक 13.09.2019 को समय 05.00 बजे आवेदक की पुत्री कु. मानवी रोड किनारे बस स्टैंड खप्परवाड़ा कनेर फूल तोड़ने के लिए गई थी तभी बालोद से दुर्ग की ओर आ रही सुमा विस्टा क्रं. सी.जी. 02 5653 के चालक द्वारा उक्त वाहन को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए उसकी पुत्री को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित कर दिया जिससे उसकी बेटी के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई तथा दोनों पैरों का मांस निकल गया तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई । उक्त घटना की रिपोर्ट थाना गुंडरदेही में दर्ज कराया गया जिसका अपराध क्रं. 360/2019 है ।

4/ दुर्घटना के समय कु. मानवी 7 वर्ष की थी तथा कक्षा दूसरी में पढ़ाई कर रही थी । दुर्घटना दिनांक 13.09.2019 को शाम 05.00 बजे की है उस दिन उसकी पुत्री मानवी दुर्ग से बालोद मुख्य मार्ग के किनारे ग्राम खप्परवाड़ा में कनेर फूल तोड़ रही थी तब बालोद की ओर से दुर्ग आते हुए वाहन टाटा सुमो विस्टा क्रं. सी.जी. 02 5653 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर मानवी को ठोकर मार दिया

और मानवी के दोनों पैर को कुचल दिया था जिसके कारण मानवी का पैर टाटा सुमो पिछले चक्के में फंसकर दब गया था और दोनों पैर की हड्डियां टूट गई थी और पैर का मांस पूरी तरह से निकल गया था जिसे गांव वाले के सहयोग से निकाला गया था । आवेदिका को होने वाली आय के नुकसान की क्षतिपूर्ति 5,00,000 रू, आवेदिका को आई अपंगता हेतु 10,00,000 रू, आवेदिका के ईलाज व दवाई में हुआ खर्च 2,00,000 रू, आवेदिका के विशेष आहार में हुआ खर्च 50,000 रू, आवेदिका के जीवन प्रत्याशा की हानि 2,00,000 रू, आवेदिका के भविष्य में उपचार हेतु 2,00,000 रू, आवेदिका के शारीरिक व मानसिक क्षतिपूर्ति हेतु 2,00,000 रू, आवेदिका के विवाह में होने वाली परेशानी की क्षतिपूर्ति हेतु 2,00,000 रू, आवेदिका के पैर में कुरूपता होने की क्षतिपूर्ति हेतु 2,00,000 रू इस तरह उपरोक्त मदों में कुल 28,00,000 रू, क्षतिपूर्ति के रूप में आवेदिका सभी अनावेदकगणों से संयुक्त रूप से तथा पृथक पृथक रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है ।

5/ प्रकरण में अनावेदक क्रं. 1 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर आवेदक से आवेदन कंडिका 1 से 8 का कथन जानकारी एवं दस्तावेज के अभाव में इंकार किया

है तथा कंडिका 9 के संबंध में यह कथन आवेदक द्वारा अवैधानिक तरीके से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मिथ्या कहानी बनाकर सूचना दर्ज कराया गया है, मात्र अपराध दर्ज कराने से अनावेदक का दायित्व नहीं बनता। आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रथम सूचना पत्र दिनांक 17.09.2019 को दर्ज कराया गया है जबकि घटना 13.09.2019 का होना दर्शित किया गया है । इस प्रकार आवेदिका के पिता द्वारा मात्र क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने की सूचना दर्ज कराया जाना स्पष्ट परिलक्षित होता है । आवेदन कंडिका 10–14 तक के कथन जानकारी एवं दस्तावेज के अभाव में इंकार किया है तथा सत्य कथन यह है कि अनावेदक के वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हआ है इसलिए आवेदिका को आई चोटों के लिए स्वयं जिम्मेदार है । आवेदिका के पिता द्वारा अनावेदक के वाहन का फर्जी तरीके से उल्लेख किया गया है जबकि वास्तव में अनावेदक के वाहन द्वारा कोई घटना घटित नहीं हुआ है । आवेदन कंडिका 18–21 के संबंध में यह कथन किया गया है कि आवेदक द्वारा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से मिथ्या कथन किया है, मात्र आकलन कर देने से ही क्षतिपूर्ति प्राप्त अधिकारी नहीं हो जाता है । आवेदन कंडिका 22–26 के संबंध में यह कथन है कि जब इस अनावेदक के गाड़ी से कोई दुर्घटना

घटित नहीं हुई है इसलिए आवेदिका का इस अनावेदकगण से कोई भी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । आवेदिका 10 वर्ष की बालिका है वह किनारे किसी अन्य वाहन से टकराने या स्वयं के लापरवाही पूर्वक चलने के फलस्वरूप चोट आई होगी लेकिन रास्ते से अनावेदक की गाड़ी गुजर रही थी, अनावेदक चूंकि अर्धसैनिक बल में पदस्थ होने के कारण वह एक सेवा भावना से आवेदिका को उठाकर हास्पिटल पहुंचाया था । अनावेदक की गाड़ी से आवेदिका को चोट नहीं आया उसके उपरांत भी अनावेदिका के पिता द्वारा झूठी कहानी बनाकर अनावेदक के विरूद्ध अपराध दर्ज कराकर क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है । इसलिए आवेदिका कोई भी क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने का कोई भी अधिकारी होने से आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने योग्य है । आवेदन कंडिका 27 के संबंध में यह कथन किया है कि जब अनावेदक की गाड़ी वाहन से कोई दुर्घटना कारित नहीं हुआ है । ऐसी स्थिति में क्षेत्राधिकार उत्तपन्न होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में घटनास्थल ग्राम खप्परवाड़ा जिला बालोद उल्लेखित किया गया है इसलिए भी आवेदन क्षेत्राधिकार रहित होने से निरस्त किए जाने योग्य है । आवेदन कंडिका 28 एवं जो कि विधिक होने से

जवाब देने की आवश्यकता नहीं है । आवेदक अपने आवेदन के साथ समस्त मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना था । इससे स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । आवेदिका को अनावेदक के वाहन से कोई चोट नहीं आया है जबकि अनावेदक द्वारा एक मानवता एवं सहानुभूतिपूर्वक कार्य करते हुए आवेदिका के जीवन रक्षा के लिए तत्काल जिला चिकित्सालय दुर्ग ले जाकर भर्ती किया गया लेकिन आवेदिका के पिता द्वारा मिथ्या कहानी बनाकर अनावेदक के विरुद्व अपराध दर्ज कराकर क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन किया गया इसलिए आवेदिका कोई भी क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है, फलस्वरूप आवेदन निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है ।

6/ प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में निम्नलिखित वाद प्रश्न विरचित किये गए है । जिन पर साक्ष्य विवेचना पश्चात प्राप्त निष्कर्ष उनके सम्मुख अंकित किये जा रहे है –

क्रं.	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**

M.A.C.T/486 /22

संस्थित दिनांक–30/09/2022

1.	क्या दुर्घटना दिनांक 13.09.2019 को समय शाम 05.00 बजे आवेदिका कु. मानवी रोड किनारे बस स्टेंड के पास, ग्राम खप्परवाड़ा में कनेर फूल तोड़ रही थी तभी बालोद दुर्ग की ओर से आ रही वाहन टाटा सूमो विस्टा क्रं. सी.जी. 02 5653 के चालक अनावेदक क्रं. 1 द्वारा अपने वाहन को तेज एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आवेदिका को ठोकर मार दिया जिससे आवेदिका कु. मानवाी के दोनों पैर में गंभीर चोटें कारित हुई?	**"साबित"**
2.	क्या दुर्घटना में आवेदिका कु. मानवी को योगदायी उपेक्षा रही थी?	**"अप्रमाणित"**
3.	क्या आवेदिका क्षतिपूर्ति प्राप्त करने की अधिकारी है? यदि हां तो किससे व कितना?	हां, कंडिका 34 अनुसार
4.	सहायता एवं व्यय?	कंडिका 35 के अनुसार

वाद प्रश्न क्रमांक 01 का निष्कर्ष

7/ प्रकरण में **आवेदक क्रमांक 1 हीरालाल** द्वारा न्यायालय में अपना साक्ष्य कराया गया है जिसने अपने परीक्षण में बताया है कि कु. मानवी उसकी पुत्री है, दुर्घटना के समय उसकी उम्र 7 वर्ष थी और कक्षा दूसरी में पढ़ाई कर रही थी । दुर्घटना दिनांक 13.09.2019 को शाम 05.00 बजे की है उस दिन उसकी पुत्री कु. मानवी दुर्ग से बालोद मार्ग के किनारे ग्राम खप्परवाड़ा में कनेर फूल तोड़ रही थी तभी बालोद की ओर से दुर्ग आते हुए वाहन टाटा सुमो विस्टा क्रं. सी.जी. 02 5653 के चालक द्वारा तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर उसकी पुत्री को ठोकर मार दिया और उसकी पुत्री के दोनों पैरों को कुचल दिया था जिसके कारण उसकी पुत्री का पैर टाटा सुमो के पिछले चक्के में फंसकर दब गया था और दोनों पैर की हड्डियां टूट गई थी और पैर का मांस पूरी तरह से निकल गया था जिसे गांव वाले के सहयोग से निकाला गया था ।

8/ घटना के बाद आरोपी वाहन चालक द्वारा अपने वाहन से ही उसकी पुत्री को जिला अस्पताल दुर्ग उपचार हेतु लाया था, जहां तीन चार घंटे भर्ती रखने के बाद उसकी बेटी की गंभीर स्थिति को देखकर अच्छे उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए सलाह देने पर स्पर्श अस्पताल भिलाई ले गए, जहां उसकी बेटी दिनांक

13.09.2019 से 16.09.2019 तक भर्ती रही वहां उपचार में 5 लाख रू. खर्च आना बताया और वह अपनी बेटी को शंकराचार्य अस्पताल भिलाई में ले जाकर भर्ती किया था जहां उसकी पुत्री 16.09.2019 से 23.09.2019 तक और 05.10.2019 से 21.10.2019 तक भर्ती रहकर उपचार कराए है । उक्त अस्पताल में उसकी पुत्री के दोनों पैरों का आपरेशन किया गया था ।

9/ आवेदक द्वारा अपने दावे के समर्थन में अनावेदक क्रं. 1 के विरुद्व चले दांडिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो अंतिम प्रतिवेदन प्रपी 1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रपी 2, जख्मी मुलाहिजा रिपोर्ट प्रपी 3, एक्सरे रिपोर्ट प्रपी 4 एवं प्रदर्श पी 5, जिला चिकित्सालय दुर्ग का बेडहेट टिकट की मांगपत्र प्रदर्श पी 6, बेडहेट टिकट प्रदर्श पी 7 जो कि तीन पन्नों में होने का कथन किया । स्पर्श अस्पताल के बेडहेट टिकट का मांगपत्र प्रदर्श पी 8 एवं बेडहेट टिकट प्रदर्श पी 9 जो 23 पन्नों में है, शंकराचार्य अस्पताल का बेडहेट टिकट का मांगपत्र प्रदर्श पी 10 एवं बेडहेट टिकट प्रदर्श पी 11 जो 55 पन्नों में है, जिला सेनानी नगर द्वारा थाना गुंडरदेही को चालक के संबंध में दिया गया पत्र प्रदर्श पी 12, कर्तव्य प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 13 , संपत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 14, गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 15, सुपुर्दनामा प्रदर्श पी 16, सुपुर्दनामा आदेश प्रदर्श

पी 17, वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 18, अनावेदक क्रमांक 01 का ड्रायविंग लायसेंस प्रदर्श पी 19, अनावेदक क्रमांक 01 का आधार कार्ड प्रदर्श पी 20, पुलिस द्वारा लिया गया कथन प्रदर्श पी 21 से प्रदर्श पी 25 तक, उपचार एवं दवाईयों का बिल प्रदर्श पी 26 एवं 27, प्रीस्कीप्शन प्रदर्श पी 28 एवं प्रदर्श पी 29, उपचार एवं दवाई का बिल प्रदर्श पी 30 एवं प्रीस्कीप्शन प्रदर्श पी 31 एवं 32, दवाई का बिल प्रदर्श पी 33 एवं 34, प्रीस्कीप्शन प्रदर्श पी 35, दवाई का बिल प्रदर्श पी प्रदर्श पी 36 एवं 37, प्रीस्कीप्शन प्रदर्श पी 38, दवाई का बिल प्रदर्श पी प्रदर्श पी 39 एवं 40, प्रीस्कीप्शन प्रदर्श पी 41 एवं प्रदर्श पी 42, दवाई का बिल प्रदर्श पी प्रदर्श पी 43, जिला चिकित्सालय दुर्ग की ओ.पी.डी. पर्ची प्रदर्श पी 44, अपंगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 45, एक्सरे का बिल प्रदर्श पी 46 कि सत्यापित एवं मूल प्रति पेश कि गई है ।

10/ आवेदक साक्षी क्रमांक 01 हीरालाल ने अपने प्रतिपरीक्षण में घटना के बाद काफी भीड़ लग जाने, उसी समय होम गार्ड वाले की गाडी आने और इसकी लडकी को गाडी में बैठाकर अस्पताल ले जाने, घटना दिनांक को रिपोर्ट दर्ज नही करवाये जाने, शंकरा अस्पताल में इसकी पुत्री का ईलाज आयुष्मान कार्ड से होने व आयुष्मान कार्ड से ईलाज करवाये जाने पर समस्त भुगतान शासन द्वारा किये जाने के

सुझाव को स्वीकार किया है किन्तु इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वतः कथन किया है कि होमगार्ड वाले गाडी से ही एक्सीडेंट हुआ है । वही इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में अनावेदक के इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि इसकी पुत्री रोड में चल रही थी तब किसी अन्य गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया था, इस सुझाव को भी अस्वीकार किया है कि एक्सीडेंट करने वाली गाडी नही मिली इसलिए इसने अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध प्रथम सूचना पत्र दर्ज करवाया था ।

11/ प्रश्नगत दुर्घटना के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 के विरुद्ध दर्ज दांडिक प्रकरण के अभिलेखों से भी अनावेदक क्रमांक 02 कि प्रश्नगत वाहन की दुर्घटना में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होता है जिसके अनुसार आरोपी चालक के विरुद्ध एफ.आई.आर. क्रमांक 360/2019 थाना गुण्डरदेही जिला बालोद में दर्ज की गई थी तथा विवेचना के उपरांत अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था । इसके अतिरिक्त प्रश्नागत घटना में अनावेदक क्रमांक 01 चालक की उपेक्षा एवं

लापरवाही के संबंध में आवेदक का साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान अखंडनीय रहा है जिस पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नजर नही आता है ।

12/ इस सबंध में इस संबंध में **माननीय न्याय दृष्टांत राजस्थान स्टेट ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन विरूद्व नंदकिशोर 2002 (1) दु.म.प्र. 366** में यह अवधारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना से होने वाले प्रतिकर की निराकरण करते समय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को कठोरता से पालन न करने पर जोर दिया जाकर संक्षिप्त प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए । "प्रथम सूचना रिपोर्ट, अन्वेषण, मानचित्र स्थल अन्वेषण, मेमो, पंचनामा, उपहति रिपोर्ट अथवा चिकित्सा से संबंधित अन्य सुसंगत दस्तावेजों की " जिन्हें पुलिस अथवा चिकित्सक द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन करते समय तैयार किया गया है, बिना किसी औपचारिक सबूत के साक्ष्य में स्वीकार होते है जब तक कि उन्हें मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य से खंडन न कर दिया जाए ।

13/ चूंकि मोटर दुर्घटना वाहन अधिनियम एक हितकारी विधान है एवं मोटर दुर्घटना से उदभूत मामलों में मृतक/आहत के हितों को संरक्षित करता है । अतएव उक्त अधिनियम से उत्पन्न कारणों में प्रक्रिया संबंधी विधि का कठोर अर्थानवयन नहीं किया जाना चाहिए । परिणामतः प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य में ग्राहय

किया जाकर यह उपधारणा की जाती है कि घटना के समय वाहन टाटा सुमो विस्टा क्रं. सी.जी. 02 5653 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए आहत कुमारी मानवी को ठोकर मारकर दुर्घटना कारित करने के परिणामस्वरूप कुमारी मानवी के दोनों पैर में गंभीर चोटें कारित की है । अतः वाद प्रश्न क्रं. 1 का निष्कर्ष **"साबित"** के रूप में दिया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष

14/ उक्त वाद प्रश्न को प्रमाणित करने का भार अनावेदक क्रमांक 01 के ऊपर है कि क्या उक्त दुर्घटना में आवेदिका कु. मानवी की योगदायी उपेक्षा रही थी, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा स्वयं का कथन कराया गया है जिसमें अनावेदक ने बताया है कि ये वर्ष 2012 से 2021 तक नगर सेना विभाग में सैनिक के पद पर पदस्थ था, ये नगर सेना विभाग में वाहन चालक का कार्य करता है । दिनांक 13.9.2019 को नगर सेना जिला सेनानी अधिकारी को शासकीय वाहन में बालोद लेकर गया था, बालोद से वापस आ रहे थे कि ग्राम खप्परवाडा के पास एक बच्ची को चोट लगा था जिसे देखकर इसके अधिकारी ने उक्त बच्ची को एवं उसके परिजन को लेकर जिला

चिकित्सालय दुर्ग लाया गया और बच्ची को इलाज के लिए भर्ती कराया गया उसके बाद अपने कार्यालय नगर सेना विभाग दुर्ग चले जाना बताया है ।

15/ यह भी बताया है कि इसकी गाडी से उक्त दिनांक को कोई घटना कारित नही हुआ था । बच्ची के परिजन द्वारा दिनांक 17.9.2019 को इसके विरुद्व मिथ्या कथन करते हुए गुण्डरदेही में प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था । वही अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि इसी दुर्घटना के संबंध में थाना गुण्डरदेही में इसके विरुद्व प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराया गया था । यह भी स्वीकार किया है कि थाना गुण्डरदेही द्वारा इसे गिरफ्तार कर मुचलके में रिहा किया गया था व इसी दुर्घटना के संबंध में इसके विरुद्व न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी गुण्डरदेही में प्रकरण चल रहा है । यह भी स्वीकार किया है कि इसके कानून की जानकारी है इसने इसके विरुद्व झूठी दुर्घटना के संबंध में प्रथम सूचना पत्र थाना गुण्डरदेही द्वारा दर्ज की गयी है, ऐसा कोई शिकायत किसी उच्च अधिकारी या न्यायायल में परिवाद दर्ज नही किया है । इस साक्षी ने अपने परीक्षण में घटना दिनांक को दुर्घटना कारित वाहन में अपने अधिकारी को मौजूद होना बताया है किन्तु इस साक्षी ने अपने कथनो के उक्त समर्थन में

अपने उक्त अधिकारी का जो घटना के समय दुर्घटना कारित वाहन में मौजूद था उनका साक्ष्य नही कराया है । अतः ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रमांक 01 के कि घटना दिनांक को इसके द्वारा चालन किये जाने वाले वाहन से कोई दुर्घटना नही होने संबंधी किये गए कथन विश्वसनीय नही माना जा सकता । अतः ऐसी स्थिति में वाद प्रश्न क्रमांक 02 का निष्कर्ष **अप्रमाणित** में दिया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक 03 का निष्कर्ष

16/ आहत को जिस गंभीर प्रकृति की चोटें आई है और जिसके आधार पर आवेदिका के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई तथा दोनों पैरों का मांस निकल गया तथा शरीर के अन्य हिस्सों में भी गंभीर चोटें आई थी । ऐसी स्थिति में इस बात की कल्पना करना भी कठिन है कि आवेदिका दुर्घटना उपरांत किस तरह से मानसिक पीडा, कष्ट, वेदना एवं नैराश्य की स्थिति में होगी । आवेदिका दुर्घटना के उपरांत अब वह एक सामान्य मानव जीवन जीते हुए सुख सुविधओं से वंचित होगी । इस प्रकार निश्चित रुप से आवेदिका एवं उसके परिवार में असुविधा, निराशा, मानसिक पीडा, कष्ट, इत्यादि होगें जिसकी राशि के रुप में क्षतिपूर्ति का मूल्यांकन करना निश्चित रुप से कठिन है ।

17/ अधिकरण के समक्ष आने वाली इस दुविधा के संबंध में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत आर.डी. हट्टनगडी विरुद्व मेमर्स पेस्ट कन्ट्रोल इंडिया लिमिटेड** निर्णित दिनांक 06.01.1995, 1 एस.सी.सी.–551 में माननीय शीर्ष् न्यायालय ने मोटर यान अधिनियम के अधीन दावे के मुआवजे का निस्तारण करते समय **वार्ड बनाम जेम्स 1965 1 इला. ई. आर. 563** में अपील न्यायालय के निर्णय को निर्दिष्ट किया है ।

18/ **उक्त माननीय न्याय दृष्टांत** में यह अवधारित किया है कि मोटे तौर पर यह देखा जाए तो दुर्घटना के पीडित को संदेह, मुआवजा की धनराशि का निर्धारण करते समय क्षतियों को पृथक रूप से निर्धारित करना होता है, जैसे आर्थिक क्षतियां एवं विशेष क्षतियां । आर्थिक क्षतियां वे है जो पीडित को वास्तव में उपगत हुई है तथा जो कि धन के निबंधनों में संगणना योग्य है, जबकि विशेष क्षतियां वे है, जो कि गणितिय संज्ञाओं में निर्धारित करने योग्य नहीं है ।

19/ **माननीय शीर्ष न्यायालय ने श्री लक्ष्मण मौर्य बनाम डिवीजनल मैनेजर ओरिएंटल इं. कं. लिमिटेड 2012 (1) दु.मु.प्र. 320 सुप्रीम कोर्ट** में यह मत व्यक्त किया कि सड़क दुर्घटना के जीवित लोगों के व्यक्तिगत कष्ट तथा वे व्यक्ति जो ऐसे दुर्घटना में निर्योग्य हुए है, उनके कष्ट कई गुना होते है, कभी–कभी उनको धन के निबंधनों के अंतर्गत

मापा जा सकता है किंतु अधिकांशतः ऐसा करना संभव नहीं होता । सड़क दुर्घटना में निर्योग्य हुए व्यक्ति के चिकित्सा उपचार का व्यय तथा देखभाल बहुत ही उच्च स्तर का होता है ।

20/ **माननीय शीर्ष न्यायालय ने अरविंद कुमार मिश्रा बनाम न्यू इंडिया इं.कं. लिमिटेड (2010) एम.एस.सी.सी. 254** में यह संप्रेक्षित किया है कि यह कहना पर्याप्त है कि व्यक्तिगत उपहति के लिए सभी क्षतियों के निर्धारण का भार मुआवजा है तथा संपूर्ण विचार यह है कि दावाकर्ता को ऐसी स्थिति में रखना जहाँ तक धन से ऐसा करना संभव हो । पूर्ण मुआवजा मुश्किल से ही संभव है, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि पी़डित व्यक्ति ने कोई त्रुटि कारित नहीं कि किंतु उसे कष्ट दोषकर्ता के हाथों से हुआ है तथा न्यायालय को उसे पूर्ण एवं न्यायोचित मुआवजा देने में सावधानी रखनी चाहिए, जो उसे कष्ट हुआ है ।

21/ **उक्त माननीय न्याय दृष्टांत** में प्रतिपादित विधि के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को क्षतिपूर्ति का निर्धारण प्रयोजन मूलक करना पड़ेगा तथा किसी अंदाज या अटकलबाजी से वर्जित होगा, यद्यपि कुछ निर्योग्यता की प्रकृति के अनुमान के साथ

अटकलबाजी से वर्जित होगा, यद्यपि कुछ निर्योग्यता की प्रकृति के अनुमान के साथ अटकलबाजी तथा इसके परिणाम अपरिहार्य होते हैं ।

22/ **उक्त माननीय न्याय दृष्टांत** में प्रतिपादित विधि के अनुसार व्यक्ति को न केवल शारीरिक उपहति के लिए मुआवजा दिया जाना होता है, वरन् उस हानि के लिए भी जो कि ऐसी उपहति के परिणामस्वरूप कष्ट उठाता है । इसका तात्पर्य यह है कि उसके पूर्ण जीवन की अक्षमता के लिए मुआवजा दिया जाना, उसके उन सामान्य सुख सुविधओं के उपयोग की अक्षमता के लिए, जिसका कि वह उपयोग किया होता किंतु केवल उपहतियों के लिए तथा उसके अर्जन की अक्षमता जितना अधिक वह अर्जित करता था या अर्जित कर सकता था ।

23/ **उक्त माननीय न्याय दृष्टांत** में प्रतिपादित विधि के अनुसार उक्त निर्णयों का अनुपात यह है कि यदि दुर्घटना का पीडित व्यक्ति स्थायी, अस्थायी निर्योग्यता को सहन करता है तो हमेशा प्रयत्न न केवल उसकी शारीरिक उपहति एवं उपचार के लिए अधिनिर्णित किया जाता है वरन् दुर्घटना के कारण कष्ट, पीड़ा एवं सुख–सुविधाओं के लिए भी, जो कि वह उपयोग किया होता किंतु दुर्घटना के कारण अक्षम हो गया ।

24/ **माननीय न्याय दृष्टांत मोहन सोनी बनाम रामावतार तोमर (2012) ए.सी.जे. 583** सुप्रीम कोर्ट में दुर्घटना के कारण होने वाली शारीरिक निःशक्तता एवं उसके परिणामस्वरूप अर्जन ही हानि के संबंध में विस्तार से जो विचार **माननीय न्याय दृष्टांत राजकुमार बनाम अजय कुमार 2011 (1) दु.मु.प्रा. 475 सुप्रीम कोर्ट** में किया गया था, उसे सुसंगत होना पाते हुए संप्रेक्षित किया गया है कि जहां दावेदार को क्षतियों के परिणामस्वरूप स्थाई निःशक्तता हुई हो तो ऐसी स्थिति में भविष्य की आय की हानि के शीर्ष पेटे प्रतिकर की गणना पर ऐसी स्थाई निःशक्तता का उसकी अर्जन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर निर्भर होगा ।

25/ इस संबंध में अधिकरण को स्थाई निःशक्ता के प्रतिशत को यांत्रिक तौर पर अर्जन क्षमता कि हानि के प्रतिशम के रुप में प्रयोज्य नही करना चाहिए अधिकांश मामलों में अर्जन क्षमता की हानि का प्रतिशत उस प्रतिशत से जो कि स्थाई निःशक्तता के संबंध में चिकित्सक द्वारा दिया गया है भिन्न होगा । कतिपय अधिकरण गलत तौर पर यह मानते है कि सभी मामलों में स्थाई निशक्तता का निशिष्ट प्रतिशत का परिणाम अर्जन क्षमता की हानि पर समान रुप से होगा यह व्यक्त किया गया कि अधिकरण को इस बात पर विचार करना चाहिए कि स्थाई निशक्तता का आहत की अर्जन क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ा और अर्जन

क्षमता कि हानि को अवधारित करने के उपरांत उसे धन की मात्रा को अवधारित करना चाहिए और अर्जन की भविष्य की हानि को निकालला चाहिए ।

26/ दुर्घटना में आहत व्यक्ति जिसे कि स्थाई अथवा निःशक्तता हुई है उसे न केवल शारीरिक क्षति एवं इलाज के लिए पर्याप्त प्रतिकर किया जाना चाहिए अपितु अर्जन कि हानि एवं सामान्य जीवन व्यतीत करने में एवं जीवन की सुविधओं का उपयोग करने में होने वाली निःशक्तता के बाबत भी पर्याप्त प्रतिकर दिया जाना चाहिए । माननीय न्याय दृष्टांत कविता विरुद्व दीपक एजेडआर 2012 सुप्रीम कोर्ट 2003 अनुसरित ।

27/ आवेदक ने अपने परीक्षण में बताया है कि जिला चिकित्सालय दुर्ग द्वारा उसकी बेटी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसकी बेटी को अच्छे उपचार के लिए दूसरे अस्पताल ले जाने के लिए सलाह दिए जाने पर स्पर्श अस्पताल भिलाई ले जाने जहां अपनी बिटिया/आहत को दिनांक 13.09.2019 से दिनांक 16.09.2019 तक भर्ती रहना, जहां उपचार में पांच लाख रू. खर्च आना बताया एवं दिनांक 16.09.2019 से 23.09.2019 तक एवं 05.10.2019 से 21.10.2019 तक शंकरा अस्पताल भिलाई में भर्ती रहना जहां उपचार में दो लाख रू. खर्च होना व वर्तमान में अपनी पुत्री के पैर में दर्द बने रहना, कुरूपता आ जाना, ज्यादा देर तक खड़े नहीं रह पाना, ज्यादा चल नहीं पाना, दौड़

नहीं सकना, भारी सामान उठा नहीं सकना व अपनी पुत्री को अपंग हो जाना जिसके कारण उसकी पुत्री के विवाह में समस्या आना एवं जीवन भर तकलीफ रहना बताया है ।

28/ **आवेदक साक्षी डॉक्टर अखिलेश यादव अ.सा. 2** ने अपने परीक्षण में जिला चिकित्सालय दुर्ग के पद पर पदस्थ होना दिनांक 05–01–2024 को कु. मानवी पिता हीरालाल उम्र 12 वर्ष निवासी खप्परवाड़ा गुंडरदेही का परीक्षण किया जाना जिसमें उसके दोनों पैर में क्रश इंज्यूरी, दोनों एंकल एवं मांसपेशियों का कड़ापन एवं कुरूपता तथा दोनों एंकल ज्वाईंट में कड़ापन था, चलने में दर्द होना व आवेदिका को आई अपंगता पूरे शरीर के संदर्भ में होना बताते हुए उसका परीक्षण कर 20 प्रतिशत स्थाई विकलांगता का प्रपी 45 का विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदाय करना बताते हुए प्रपी 45 के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है । यद्यपि साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में आहत को आई चोट का ईलाज इसके द्वारा नहीं किया जाना, अपंगता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाना एवं प्रपी 45 का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित नहीं होना व प्रपी 45 का विकलांगता प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी नहीं करने के सुझाव को स्वीकार किया है । इसी साक्षी ने यह सुझाव को अस्वीकार किया है कि अच्छे से उपचार कराने पर आवेदिका को अपंगता में कमी आ सकती थी । इस सुझाव को भी

स्वीकार किया गया है कि इसके द्वारा ईलाज नहीं किया गया है इसलिए यह अपंगता के बारे में नहीं बता सकता । डॉ अखिलेश यादव शासकीय चिकित्सक है, जो जिला चिकित्सालय दुर्ग में हड्डी रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ होना बताया है । आवेदक की ओर से न्याय दृष्टांत जी.गनाना उर्फ मूठी बनाम महानगर परिवहन निगम 2009 (1) ए.सी.टी. 321 पेश किया है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिमत दिया गया है कि शासकीय चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाणपत्र पर इस धारणा पर अविश्वास नहीं किया जाना चाहिए कि वह क्षति के अनुपात में स्थाई में निशक्तता का प्रमाणपत्र जारी नहीं करता है उक्त माननीय न्याय दृष्टांत इस प्रकरण में अनुकरणीय है ।

29/ माननीय उच्चतम न्यायालय के राजकुमार राजकुमार बनाम अजय कुमार 2011 (1) दु.मु.प्रा. 475 सुप्रीम कोर्ट में भविष्य कि हानि के आकलन के मामले में भले ही आहत/आवेदक की ओर से आय अर्जन के संबंध में कोई सुदृढ साक्ष्य पेश नही किया गया है तो भी आहत के एक विघार्थी होने के कारण नेशनल इंकम के रुप में न्यूनतम रुप से 4000/– रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करने वाला व्यक्ति माना जाना उचित होगा । अभिलेखानुसार घटना दिनांक को उसकी उम्र 07 वर्ष होना बताया गया है जिसे कोई चुनौती भी नही दी गई है ।

30/ इस संबंध में आवेदक साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि यद्यपि आवेदक कि स्थाई अपंगता चिकित्सक साक्षी अखिलेश यादव के द्वारा 20 प्रतिशत बताई गई है जिन्होने आहत का विकलांगता प्रमाण पत्र बनाना बताया है साथ ही उक्त अपंगता पूरे शरीर के संदर्भ में करना बताया है ।

31/ इसके अतिरिक्त आवेदक अभी लगभग 12 साल की अवस्था में है तथा सारा जीवन उसका आगे है जिसमें दिन प्रतिदिन अपने कार्यों के साथ निजी जिदंगी जैसे दांम्पत्य जीवन में भी मुशिकलें आना संभावित है । इसलिए यह अधिकरण आवेदक की चोटों को देखते हुए स्थाई अपंगता का 60 प्रतिशत माना जाकर गणना निम्नानुसार की जाती हैः–

1	आहत की वार्षिक आय 4000 ×**12** =	48,000
2.	भविष्य में अर्जन की हानि प्रतिवर्ष पूर्व की वार्षिक आय का 60 प्रतिशत 48000 ×90 ÷ 100	28,800 रू.

3.	आय के संदर्भ में लागू गुणांक बराबर	18
4.	भविष्य में अर्जन की हानि 4000× 12 गुणित 18×60 ÷ 100	5,18,400 रू.

32/ आवेदक/आहत द्वारा दुर्घटना से आई चोटों के दिवस तक ईलाज में लगे दवाईयों एवं मेडिकल बिल की पर्ची प्रस्तुत किया है तथा उक्त ईलाज से संबंधित बिलों को अनावेदकगण की ओर से तात्विक रूप से कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा प्रथम दृष्टया आवेदक के ईलाज से संबंधित एवं दुर्घटना उपरांत अस्पतालों एवं दवाईयों के आवेदक के नाम से बिल है ऐसी स्थिति में उन पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण नहीं है । अतः उपरोक्त बिल आदि का कुल मूल्यांकन करने 3264 रू. की गणना की जावेगी ।

33/ दुर्घटना में आवेदक को गंभीर चोट आना प्रमाणित होना पाया गया है । आवेदक ने अपने परीक्षण में बताया है कि वह अपनी पुत्री को स्पर्श अस्पताल भिलाई एवं शंकराचार्य अस्पताल भिलाई में भर्ती रहकर अपना ईलाज करवाया था हालांकि इस दौरान परिवहन एवं अटेंडर में हुए खर्च के संबंध में आवेदक द्वारा कोई स्पष्ट दस्तावेज या बिल पेश

नहीं किया है किंतु स्वाभाविक रूप से उक्त अवधि में आहत/आवेदक को कम से कम एक अटेंडर की आवश्यकता हुई होगी एवं आने जाने के लिए परिवहन का सहारा लिया होगा । अतः परिवहन व्यय एवं सहायक हेतु एकमुश्त 30 हजार रू. दिलाया जाता है इसके अलावा आवेदक को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए विशेष पौष्टिक आहार की आवश्यकता पडी होगी अतः पौष्टिक आहार इत्यादि हेतु एकमुश्त रू 30 हजार रू. तथा कष्ट, पीडा, हताशा, कुंठा, आघात एवं जीवन में आनंद की क्षति इत्यादि अर्थात शारीरिक एवं मानसिक पीडा हेतु 50 हजार रू.आवेदिका के भविष्य में उपचार हेतु 20,000 रू. आवेदिका के विवाह में होने वाली परेशानी हेतु 50,000 रू. आवेदिका के पैर में कुरूपता हेतु 25,000 रू. की राशि दिलाया जाना उचित होगा ।

34/ आवेदक विभिन्न मदों में अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः 7,23,400 रू. (अक्षरी सात लाख तेईस हजार चार सौ रू. मात्र) की क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने हेतु अधिनिर्णित किया जाता है । चूंकि वाद प्रश्न क्रं. 2 के अंतर्गत अनावेदक क्रं. 1 वाहन टाटा सूमो विस्टा क्रं. सी.जी. 02–5653 को वैध एवं प्रभावकारी लायसेंसधारी चालक के द्वारा चलाए जाने की उपधारणा की जा सकती है । घटना के समय दुर्घटना

कारित करने वाला वाहन शासकीय वाहन है । ऐसी स्थिति में अनावेदक क्रं. 2 को आवेदक से उक्तानुसार मुआवजा का संदाय करने का दायित्वधीन पाया जाता है ।

वाद प्रश्न क्रमांक 4 सहायता एवं व्यय

35/ उपरोक्तानुसार प्रकरण के विश्लेषण पश्चात यह उपधारित किया जाता है कि आवेदक अपना दावा आंशिक रूप से प्रमाणित करने में सफल रहा है । अतः निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है ।

1– अनावेदकगण 7,23,400 रू. (अक्षरी सात लाख तेईस हजार चार सौ रू. मात्र) क्षतिपूर्ति राशि आवेदक को अदा करने हेतु दायित्वाधीन रहेंगे । चूंकि दुर्घटना कारित वाहन शासकीय वाहन है इसलिए क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने का प्राथमिक दायित्व अनावेदक क्रं. 2 का रहेगा ।

2– उक्त क्षतिपूर्ति राशि पर दावा दिनांक 30.09.2022 से अंतिम अदाएगी तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी अदा करेंगे ।

3– उपरोक्त संपूर्ण क्षतिपूर्ति की राशि आवेदक को प्राप्ति हेतु आदेश दिनांक से 30 दिनों के भीतर इस अधिकरण के खाते में जमा किया जावे ।

4– यदि पूर्व में आवेदक को अनावेदकगण की ओर से कोई भी राशि संदत्त की गई हो तो इस अधिनिर्णय में अधिनिर्णित राशि में उसका समायोजन किया जाए ।

5– उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय वहन करेंगे। तदानुसार व्यय तालिका तैयार की जावे ।

तद्नुसार अधिनिर्णय पारित, प्रकरण निराकृत । अधिनिर्णय की एक प्रति अनावेदक को निःशुल्क प्रदान की जावे ।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित दिनांकित कर घोषित किया गया ।

मेरे निर्देशन में टंकित ।

DEEPAK KUMAR KOSHLEY Digitally signed by DEEPAK KUMAR KOSHLEY

(दीपक कुमार कोशले)
पंचम अपर मो०दु०दावा अधिकरण
दुर्ग छ.ग.

DEEPAK KUMAR KOSHLEY Digitally signed by DEEPAK KUMAR KOSHLEY

(दीपक कुमार कोशले)
पंचम अपर मो०दु०दावा अधिकरण
दुर्ग छ.ग.

दिनांक–29–06–2024

प्रतिलिपिः–

01– अधिनिर्णय की प्रति निःशुल्क उभयपक्ष को आदेश के पालनार्थ प्रदान की जावे ।

M.A.C.T/486 /22

संस्थित दिनांक–30/09/2022

दुर्ग,

दिनांक 29–06–2024

DEEPAK KUMAR KOSHLEY Digitally signed by DEEPAK KUMAR KOSHLEY

(दीपक कुमार कोशले)

पंचम अपर मो०दु०दावा अधिकरण

दुर्ग